संख्या- 231 / 2025 / 1600 / चार-2025-1931182

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग,
छतर मंजिल परिसर, एम0जी0 रोड,
कैसरबाग, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 02 जून, 2025**

विषय:- भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यू0सी0आई0) से स्मारकों पर कराये जा रहे वृहद अनुरक्षण कार्यों के परीक्षण हेतु परीक्षण शुल्क की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 284/प्रथम-3 कन्सलटेन्ट (09)/25, दिनांक 14 मई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्नलिखित तीन स्मारकों पर कराये जा रहे वृहद अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यू0सी0आई0) से कराये जाने पर अपेक्षित शुल्क की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	वृहद अनुरक्षण परियोजना का काम	परीक्षण कराये जाने हेतु अपेक्षित धनराशि (परियोजना का 0.60% + 18% GST)
1	बाल्मीकि आश्रम, बिठूर, कानपुर	रू0 89,629.00
2	सीताराम महल, कोटवन, मथुरा	रू0 75,519.00
3	रसिक बिहारी मन्दिर, फतेहपुर	रू0 1,13,269.00
	कुल योग	रू0 2,78,417.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपर्युक्त तालिका में अंकित तीन स्मारकों पर कराये जा रहे वृहद अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यू0सी0आई0) से कराये जाने पर अपेक्षित शुल्क **रू0 2,78,417.00 (रू0 दो लाख अठहत्तर हजार चार सौ सत्रह मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय, लखनऊ का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व पुरातत्व निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश पुरातत्व निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 2,78,417.00 (रू0 दो लाख अठहत्तर हजार चार सौ सत्रह मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-103 पुरातत्व विज्ञान-03 पुरातत्व निदेशालय- 16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या- 231 /2025 / 1600 (1)/चार-2025-1931182 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।